राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–2241/2025

दिनेश कुमार पारीक

–अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग,
शासन सचिवालय, राजस्थान सरकार, जयपुर एवं अन्य

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 27.03.2025
उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री गोविन्द खण्डेलवाल, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : सुश्री राधिक महरवाल, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति पशु धन सहायक के पद पर दिनांक 28.07.1975 को पशुपालन विभाग में हुई थी। अपीलार्थी की सेवाएं संतोषजनक होने के कारण अपीलार्थी को समय–समय पर वेतन वृद्धि और अन्य लाभ प्रदान किये गये। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी को वर्ष 1997 में नियमित वेतन वृद्धि का लाभ प्रदान किया गया था, परंतु इसके पश्चात अपीलार्थी को वर्ष 1998 में वेतन वृद्धि का लाभ प्रदान नहीं किया गया, जबकि अपीलार्थी के खिलाफ किसी भी प्रकार के वेतन के बिना छुट्टी या विभागीयी पूछताछ या अन्य कोई कारण नहीं था। इस प्रकार अपीलार्थी को एक वर्ष के नियमित वेतन वृद्धि का नुकसान नियमित हो रहा है, जबकि विभाग में अपीलार्थी के समान ग्रेड–पे वाले कर्मचारियों को यह वेतन वृद्धि मिल रही है। इस संबंध में अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग के समझ अभ्यावेदन भी प्रस्तुत किया, परंतु उस पर भी कोई विचार नहीं किया गया। इस प्रकार अपीलार्थी को वर्ष 1998 से लगातार वित्तीय हानि हो रही है।
3. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के

समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

4. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 4 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 6 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

5. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)